


24/12/24

पत्रावली पेश हुई। वहील पत्रावली पेश करने के बाद
अपार्थिगों का जवाब पूर्व में पेश हो चुका है
जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त जवाब
पर अपार्थिगों की वधत सुनी गई। प्रस्ताव वधत
व पत्रावली में संलग्न तहसीलदार फुलेप
के जवाब का अवलोकन। मन्तव्य के आधार
पर प्र. पत्र अस्पष्ट निषेधाज्ञा सिद्ध
नहीं होने से अस्वीकार। श्वारिज किना
जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश बुले
नमामालम में सनामा जाकर मेरे दस्तावेज
व नमामालम की मुद्दा जारी जारी किया
गया।


उपरवण्ड अधिकारी
साँबर लोक

